शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 26 – 02 नवम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

आबादी के नीचे सुरंग निर्माण पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

शिमला/शैल। शिमला बाईपास परियोजना में एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पहले बाईपास सड़क बनाने के लिए जमीन अधिग्रहित की गई। इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में बांटे गए और 88 परिवारों के मकान गिराकर उन्हें विस्थापित कर दिया गया। लेकिन बाद में एनएचएआई ने सड़क बनाने की योजना छोड़कर संजौली के चलौठी से भट्टाकुफर तक पहाड़ी के नीचे ट्विन टनल बनाने का फैसला कर लिया। अब इस सुरंग के ऊपर बने मकानों में दरारें आने और कुछ मकानों के असुरक्षित घोषित होने का मामला अदालत पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से पूछा है कि आखिर पहले से तय योजना क्यों बदली गई और जनता के 600 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद इसकी जवाबदेही किसकी है?

हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर को विनीत शर्मा और अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनएचएआई से इन सवालों का जवाब मांगा। अदालत के सामने बताया गया कि पहले छकरैल, भट्टाकुफर और ढली के रास्ते सतही सड़क बनाने की योजना थी। इसके लिए जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई थी और प्रभावित लोगों को करीब 600 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया था। इस प्रक्रिया में 88 परिवारों के मकान गिराए गए। इसके बाद इस योजना को छोड़कर आबादी वाले पहाड़ के नीचे सुरंग बनाने का फैसला लिया गया। अदालत ने एनएचएआई से पूछा है कि जब जमीन अधिग्रहित करने और मुआवजा देने पर इतनी बड़ी रकम खर्च हो चुकी थी, तो फिर सड़क की योजना बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस खर्च से सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि सुरंग बनाने के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। इसके कारण ऊपर पहाड़ी पर बने कई मकानों में दरारें आ गई हैं और कुछ मकानों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ जगहों पर सुरंग और ऊपर बने मकानों के बीच केवल 14 मीटर की दूरी है। कब्रिस्तान और विशाल मेगा मार्ट के आसपास यह स्थिति सामने आई है। सुरंग के दोनों ओर से पानी निकलने की समस्या भी बताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि जीएसआई ने पहले ही इस पहाड़ी के नीचे सुरंग बनाने को लेकर चेतावनी दी थी, क्योंकि यहां सैकड़ों मकान बने हुए हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद उपायुक्त शिमला और एनएचएआई के अधिकारियों ने मौके का दौरा किया था और ब्लास्टिंग रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एक अक्तूबर को आईआईटी रुड़की की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। टीम ने सुरंग निर्माण से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने अदालत को बताया कि सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के कारण 18 सितंबर से निर्माण कार्य बंद है। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आने और मकानों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने तक काम दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने एनएचएआई के इस भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया है। अदालत ने फिलहाल निर्माण पर अलग से रोक लगाने का आदेश नहीं दिया, लेकिन उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक सुरंग निर्माण का कोई काम नहीं होगा। एनएचएआई को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है।

इस मामले में अब दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, जब बाईपास सड़क के लिए जमीन अधिग्रहित कर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे, तो योजना बदलने का फैसला क्यों लिया गया? दूसरा, सुरंग के ऊपर रहने वाले लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उनकी सुरक्षा और मुआवजे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाईकोर्ट के सवालों ने एनएचएआई के सामने परियोजना के फैसलों और सरकारी धन के इस्तेमाल का पूरा हिसाब देने की चुनौती खड़ी कर दी है।

तीन माह से स्टाइपेंड नहीं, राजकीय दंत महाविद्यालय की व्यवस्था पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख सरकारी दंत चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में शामिल राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला में व्यवस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां MDS (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) की पढ़ाई कर रहे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को पिछले तीन महीनों से स्टाइपेंड नहीं मिला है। अगस्त, सितंबर और अक्तूबर का भुगतान लंबित होने से नाराज डॉक्टरों ने अब सामूहिक रूप से सरकार और संबंधित विभागों से हस्तक्षेप की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि वे नियमित रूप से मरीजों का उपचार करने के साथ अपनी शैक्षणिक और क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला स्टाइपेंड भी समय पर जारी नहीं किया जा रहा।

रेजिडेंट डॉक्टरों के अनुसार, इस मामले को कई बार महाविद्यालय प्रशासन के सामने उठाया गया, लेकिन अभी तक भुगतान की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह मिलने वाला स्टाइपेंड भी दूसरे सरकारी मेडिकल और डेंटल संस्थानों में मिलने वाली राशि की तुलना में कम है। उन्होंने लंबित भुगतान तत्काल जारी करने के साथ स्टाइपेंड की राशि में संशोधन करने की मांग की है।

डॉक्टरों ने संस्थान में डेंटल उपकरणों, उपचार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और दूसरी जरूरी क्लिनिकल सप्लाई की कमी का मुद्दा भी उठाया है। डवै की पढ़ाई केवल कक्षाओं और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होती। इसमें मरीजों का उपचार करना, जटिल दंत रोगों का अध्ययन और व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना भी शामिल है। इसके लिए आधुनिक उपकरणों और पर्याप्त चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता जरूरी है।

डॉक्टरों का कहना है कि आवश्यक सामग्री और उपकरणों की कमी से उनके क्लिनिकल कार्य और प्रशिक्षण में परेशानी आती है। इसका असर मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली दंत चिकित्सा सेवाओं पर भी पड़ता है। ऐसे में संस्थान में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने संस्थान में अपने लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पर्याप्त शैक्षणिक संसाधनों की कमी और प्रशासनिक कामकाज में देरी की शिकायत की है। उनका कहना है कि उपस्थिति सत्यापन और जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने जैसे सामान्य प्रशासनिक कार्यों में भी अनावश्यक देरी होती है।

डॉक्टरों ने शिकायत निवारण व्यवस्था को भी कमजोर बताया है। उनका आरोप है कि समस्याएं उठाने पर प्रभावी समाधान नहीं मिलता और कई बार प्रशासनिक स्तर पर उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता। इससे प्रशिक्षण के माहौल और कामकाज पर असर पड़ता है।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC) के नियमों और स्नातकोत्तर दंत शिक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि किसी भी सरकारी दंत महाविद्यालय में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने के लिए बेहतर शिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षित शिक्षक, जरूरी क्लिनिकल सुविधाएं, आधुनिक उपकरण

शेष पृष्ठ 8 पर.....

दूरदराज क्षेत्रों तक नेत्र चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने पर जोर:राज्यपाल

पालमपुर में नेत्र रोग विशेषज्ञों के सम्मेलन में बोले कविन्द्र गुप्ता, हिमाचल को 320 पीजी सीटें देने के लिए केंद्र की सराहना

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत सहित विभिन्न



स्वास्थ्य योजनाओं से आम लोगों तक बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है। अब जरूरत है कि इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंचे।

राज्यपाल पालमपुर में नॉर्थ जोन ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी के 38वें वार्षिक सम्मेलन और हिमाचल प्रदेश ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जनऔषधि योजना और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है। 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवरेज देने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने हिमाचल के लिए 320 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटें मंजूर करने और इसके लिए 415 करोड़ रुपये आवंटित करने पर केंद्र सरकार की सराहना की। कहा कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्यपाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लंबी दूरी, सीमित परिवहन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण लोगों को नेत्र उपचार के लिए परेशानी होती है। उन्होंने सरकारी संस्थानों, निजी अस्पतालों और विशेषज्ञ संगठनों से मिलकर दूरदराज क्षेत्रों में नेत्र चिकित्सा सेवाएं मजबूत करने का आहवान किया।

इस अवसर पर डॉ. सुधीर सल्होत्रा ने सोसाइटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला। राज्यपाल ने डॉ. सूरत सिंह को चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। उन्होंने सोसाइटी का जर्नल जारी करने के साथ हिमाचल प्रदेश ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसाइटी की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया।

राज्यपाल ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया।

राज्यपाल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश की रियासतों का एकीकरण कर मजबूत भारत की नींव रखी। उनका दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता भी देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा है।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। उन्होंने युवाओं से सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने और अनुशासन, समर्पण व जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आहवान किया। उन्होंने लोगों से आपसी सद्भाव, सम्मान और विविधता में एकता की भावना मजबूत करने की अपील भी की।

संस्कृत भारत की आत्मा और ज्ञान परंपरा का आधार: राज्यपाल

प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक और अनुसंधान से जोड़ने पर दिया जोर

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधार है। वे कांगड़ा जिले के नूरपुर के निकट मल्कवाल स्थित के.बी.वी.एम. इंस्टीटयूट ऑफ नर्सिंग में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृत भारती संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने भारत की ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और नैतिक मूल्यों की परंपरा को समृद्ध किया है। उन्होंने संस्कृत को आम लोगों तक पहुंचाने और दैनिक बातचीत में इसका उपयोग बढ़ाने की जरूरत बताई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्थानीय बोलियों पर भी संस्कृत का गहरा प्रभाव है और वर्ष 2019 से प्रदेश को देश के दूसरे संस्कृत भाषी राज्य का दर्जा प्राप्त है। राज्यपाल ने प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने का आहवान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से संस्कृत में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई।

मनेई में बनेगा परमार्थ इको विलेज, एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कांगड़ा जिले के मनेई (भदरेला) में 'परमार्थ इको



विलेज' परियोजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली और सतत आजीविका को बढ़ावा देने में मददगार होगी।

राज्यपाल ने कहा कि इको विलेज को शिक्षण और प्रेरणा केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जहां विद्यार्थी, किसान, युवा और शोधकर्ता पर्यावरण संरक्षण के तरीकों को समझ सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जंगलों, नदियों, प्राकृतिक जल स्रोतों और जैव विविधता को सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से जैविक खेती, स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

राज्यपाल ने पौधारोपण कर एक लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने परियोजना के लिए भूमि दान करने वाले राकेश और दिनेश को सम्मानित किया। साथ ही स्थानीय कलाकार संजय धीमान और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाली रूमी देवी को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर स्वामी दिव्यानंद पुरी महाराज सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

नेरी में खुलेगा पौध स्वास्थ्य निदान क्लिनिक

किसानों को मिलेगी रोगों की सटीक जानकारी

एआई आधारित निदान और डिजिटल निगरानी से मजबूत होगी बागवानी

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नेरी परिसर में अत्याधुनिक पादप स्वास्थ्य निदान क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। कुलपति प्रो. एच.एस. बवेजा ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से इसकी आधारशिला रखी। क्लिनिक में बागवानी फसलों के रोगों की पहचान, निगरानी और वैज्ञानिक परामर्श की सुविधा मिलेगी।

कुलपति ने कहा कि रोगों कीसमय रहते पहचान से फसल नुकसान और कीटनाशकों के अनावश्यक इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। इससे किसानों की उत्पादन लागत घटाने, कीटनाशक अवशेषों पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण नए रोगों के उभरने और उनके नए क्षेत्रों में फैलने की चुनौती को देखते हुए यह सुविधा महत्वपूर्ण होगी।

महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.के. भारद्वाज ने बताया कि क्लिनिक में उन्नत रोग निदान तकनीकों के साथ मौसम आधारित रोग जोखिम आकलन और खेतों की निगरानी को जोड़ा जाएगा। यहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निदान और डिजिटल पौध स्वास्थ्य निगरानी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस पहल से किसानों के साथ बागवानी स्नातकों और ग्रामीण युवाओं को भी लाभ मिलेगा। मोबाइल निदान सेवाओं, कृषि-तकनीक स्टार्टअप और पौध संरक्षण परामर्श के माध्यम से स्वरोजगार के नए अवसर विकसित किए जा सकेंगे।

केलांग में उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं की जानकारी दी

रैम्प परियोजना के तहत सम्मेलन आयोजित, 40 उद्यमियों ने लिया भाग

शिमला/शैल। लाहौल-स्पीति के उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता की जानकारी देने के लिए उद्योग विभाग



ने केलांग में रैम्प परियोजना के तहत एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें करीब 40 उद्यमियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक सोमेश शर्मा और भारतीय स्टेट बैंक के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुनील मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने उद्यमियों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का आहवान किया।

सम्मेलन में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी जानकारी दी गई। योजना के तहत पात्र पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दौरान वजीफा, औजार खरीदने के लिए 15 हजार रुपये तक की सहायता और रियायती ब्याज पर बिना गारंटी ऋण दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन और उत्पादों की मार्केटिंग में भी सहायता मिलती है।

कार्यक्रम में व्यवसाय शुरू करने और विस्तार के लिए उपलब्ध बैंक ऋण व वित्तीय संसाधनों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को सतर्कता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शपथ भी दिलाई गई।

मुख्यमंत्री ने रघुनाथ मंदिर में शीश नवाया

शिमला/शैल। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रघुनाथ मंदिर में शीश नवाया और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि तथा शांति की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध देव संस्कृति और सदियों पुरानी विरासत का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की इस अनूठी लोक-संस्कृति, देव परंपराओं और धार्मिक स्थलों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर व अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

थुनाग कॉलेज के चार विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में हासिल की सफलता

शिमला/शैल। डॉ.वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, थुनाग के



चार विद्यार्थियों ने आईसीएआर एआईईईए (पीजी)-2026 की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में फैलोशिप के साथ स्नातकोत्तर पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

महाविद्यालय की वर्षा ठाकुर ने परीक्षा में सातवां स्थान हासिल किया है। वह भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में फल विज्ञान में एमएससी करेंगी। सिरमौर की अलीशा नेगी ने नौवां स्थान प्राप्त किया है। वह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में पुष्प विज्ञान की पढ़ाई करेंगी।

करसोग के पांगणा की सिमरन ने 304वां और चंबा के आदित्य सिंह बिजलवान ने 47वां स्थान हासिल किया है। सिमरन आईएआरआई, झारखंड में फल विज्ञान और आदित्य चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सिल्वीकल्चर एवं एग्रोफोरेस्ट्री में एमएससी करेंगे।

इसके अलावा बिलासपुर के उदय ठाकुर ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून की प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. प्रेम लाल शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी सफलता का श्रेय मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया।

इलिनोइस विश्वविद्यालय के साथ चिकित्सा शिक्षा में होगा शोध और तकनीक का आदान–प्रदान

छात्रों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए शुरू होगा एक्सचेंज कार्यक्रम, कैंसर उपचार, टेलीमेडिसिन और एआई पर भी रहेगा जोर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार अमेरिका के इलिनोइस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग बढ़ाएगी। इसके तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज, विशेष प्रशिक्षण और शोध से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से यहां इलिनोइस विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. मनुराज सूद के नेतृत्व में मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा, शोध और आधुनिक स्वास्थ्य तकनीकों को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिले और लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि इलिनोइस विश्वविद्यालय के साथ विद्यार्थियों और चिकित्सा शिक्षकों के आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे उन्हें नई तकनीकों, शिक्षण पद्धतियों और शोध कार्यों का अनुभव मिलेगा।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के साथ पहले हुए समझौता ज्ञापन



को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। इसके तहत संयुक्त शोध, प्रशिक्षण, शैक्षणिक सामग्री और तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान होगा।

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, कैंसर के आधुनिक उपचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक खेती, पौष्टिक भोजन और स्वच्छ पेयजल को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया।

प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा और शोध के नए अवसरों पर अपने विचार रखे। बैठक में सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार और चमियाणा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. बृज शर्मा सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।

दिवाली पर 266 विशेष बसें चलाएगा एचआरटीसी:अग्निहोत्री

6 और 7 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से चलेंगी अतिरिक्त बसें, 8 नवंबर को सीमित रहेगी परिवहन सेवा

शिमला/शैल। दिवाली पर अपने घर आने वाले हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) 6 और 7 नवंबर को 266 विशेष बसें चलाएगा। ये बसें दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए चलाई जाएंगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि दिवाली के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण निगम ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है।

अग्निहोत्री ने बताया कि 6 नवंबर को कुल 134 विशेष बसें चलाई जाएंगी। इनमें दिल्ली से 42, चंडीगढ़ से 69 और बद्दी से 23 बसें हिमाचल के लिए रवाना होंगी। इसी तरह 7 नवंबर को 132 बसें चलेंगी। इनमें दिल्ली से 49, चंडीगढ़ से 63 और बद्दी से 20 बसें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचेंगी।

उन्होंने कहा कि निगम ने विशेष बसों के संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों में नौकरी और कारोबार करने वाले हिमाचल के लोगों को त्योहार से पहले घर पहुंचने में सुविधा देना है। अतिरिक्त बसें चलने से सामान्य दिनों में यात्रियों की भीड़ का दबाव भी कम होगा।

दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को भी एचआरटीसी की बसें चलेंगी, लेकिन इनकी संख्या कम रहेगी। दिल्ली, चंडीगढ़ और लंबी दूरी के अन्य मार्गों पर यात्रियों की जरूरत के अनुसार बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं, प्रदेश के भीतर बस सेवाएं शाम चार बजे तक ही चलेंगी। इसके बाद सामान्य बस सेवा सीमित रहेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निगम का प्रयास है कि दिवाली पर घर आने वाले लोगों को यात्रा के दौरान परेशानी न हो। इसके लिए जरूरत के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं, ताकि त्योहार के दौरान उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।

जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के लिए पीजी का रास्ता खोलेगी सरकार:मुख्यमंत्री

नियुक्ति की तारीख से मिलेंगे जीडीओ के लाभ, पीजी नीति में बदलाव के निर्देश आईजीएमसी और टांडा में खुलेंगे जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग

शिमला/शैल। प्रदेश के जॉब ट्रेनी चिकित्सा अधिकारियों को अब पीजी करने का अवसर देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को मौजूदा पीजी/एसएस नीति की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इससे जॉब ट्रेनी डॉक्टर इन-सर्विस जनरल ड्यूटी ऑफिसर (जीडीओ) के लिए आरक्षित 66.6 प्रतिशत कोटे के तहत पीजी और एमडीएस पाठयक्रमों में प्रवेश के पात्र हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ संवाद में स्पष्ट किया कि जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को नियुक्ति की तारीख से जीडीओ के सभी लाभ दिए जाएंगे। पीजी पूरी करने के बाद उन्हें अपनी नियुक्ति अवधि की शेष अवधि जॉब ट्रेनी के रूप में सेवाएं देनी होंगी। नियमितीकरण के लिए दोबारा परीक्षा देने से छूट देने के मामले पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए भी मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति का रास्ता आसान करने का फैसला किया है। उन्हें सीनियर रेजिडेंट और टयूटर स्पेशलिस्ट के रिक्त पदों पर 33.33 प्रतिशत सीधे भर्ती कोटे के



तहत मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए न लिखित परीक्षा होगी और न साक्षात्कार।

मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बुजुर्गो के उपचार के लिए जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की उपलब्धता और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दावा किया कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता पूर्व भाजपा सरकार के समय के 35 प्रतिशत से बढ़कर अब करीब 80 प्रतिशत हो गई है।

सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षक भर्ती करेगी सरकार, 30 हजार रुपये होगा मासिक मानदेय

दूसरे चरण में 600 अंग्रेजी-गणित और 2,500 अन्य विषयों के शिक्षक होंगे नियुक्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 3,100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दूसरे चरण की इस भर्ती में अंग्रेजी, गणित सहित 13 अन्य विषयों के शिक्षक शामिल होंगे। चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा। हालांकि, ये नियुक्तियां नियमित सरकारी पदों पर होंगी या निश्चित मानदेय वाली अलग व्यवस्था के तहत, इस संबंध में जारी जानकारी में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

सरकार की योजना के तहत अंग्रेजी के 240 और गणित के 360 शिक्षकों सहित कुल 600 प्रोफेशनल शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इनके अलावा 2,500 शिक्षकों की भर्ती निश्चित मानदेय और एकमुश्त समेकित राशि के आधार पर होगी। इनमें हिंदी और संस्कृत के 240-240, राजनीति विज्ञान और इतिहास के 199-199, अर्थशास्त्र के 202, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 120-120, जीव विज्ञान के 240, कंप्यूटर के 120, संगीत के 120, वाणिज्य के 240, शारीरिक शिक्षा के 240 और ललित कला के 220 शिक्षक शामिल हैं। इन पदों के लिए चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करेगा। अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य होगी।

भर्ती को मंजूरी ऐसे समय दी गई है, जब सरकार सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठयक्रम लागू कर शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब इस पहल की असली परीक्षा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने, शिक्षकों की स्कूलों में तैनाती और विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में सुधार से होगी।

सुन्नी बांध परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में 72.82 करोड़ के विकास कार्य होंगे

शिमला/शैल। सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना से प्रभावित शिमला ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 72.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत खैरा से ओगली तक एमडीआर-22 सड़क का उन्नयन और



विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सतलुज नदी पर ओगली-परलोग में 152 मीटर स्पैन के पुल का निर्माण होगा। इन विकास कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग और एसजेवीएनएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की उपस्थिति में शिमला में हुए इस समझौते पर विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता दीपक राज चौहान और एसजेवीएनएल के कार्यकारी निदेशक विकास शर्मा ने हस्ताक्षर किए। ये कार्य 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) योजना के तहत किए जाएंगे।

इन कार्यो से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ स्थानीय लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेषकर ओगली और परलोग के बीच पुल बनने से नदी के आर-पार संपर्क मजबूत होगा।

इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने एसजेवीएनएल और संबंधित विभागों के कार्यो की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने जल शक्ति विभाग के सुन्नी मंडल से जुड़े मुद्दों और परियोजना प्राधिकरणों के साथ लंबित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यो में तेजी लाने, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और लंबित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों और एसजेवीएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

चिट्टे के खिलाफ जनभागीदारी जरूरी:डीजीपी

शिमला/शैल। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई केवल



पुलिस के भरोसे नहीं जीती जा सकती, इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। कुमारसैन के डीएवी वरिष्ठ माध्यमिक पब्लिक स्कूल में उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आहवान किया।

उन्होंने बताया कि 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान के तहत कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं खंड, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ना और उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाना है।

डीजीपी ने शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के राष्ट्रीय प्रदर्शन में हिमाचल 34वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और चिट्टा मुक्त हिमाचल के निर्माण में सहयोग देने की शपथ भी दिलाई।

विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

रामलीला मैदान से राहुल गांधी के नेतृत्व की राजनीतिक परीक्षा



दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को हुई विपक्ष की रैली को केवल चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध तक सीमित करके देखना राजनीतिक वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा। यह रैली केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की कार्यशैली, सत्ता के केंद्रीकरण, जांच एजेंसियों की भूमिका, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जनता की रोजमर्रा की समस्याओं पर उठ रहे सवालों का संयुक्त राजनीतिक प्रदर्शन थी। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि राहुल गांधी ने इस मंच से केवल कांग्रेस की बात नहीं की, बल्कि अलग – अलग राजनीतिक दलों को एक साझा संघर्ष के लिए साथ लाने की कोशिश की है। क्या यह एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले किसी व्यापक राजनीतिक विकल्प का आधार बन सकती है?

रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनजह, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और वामपंथी दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय राजनीतिक घटना बना दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी और द्रमुक जैसे कुछ प्रमुख दल इस मंच पर नहीं थे। रैली की भीड़ को लेकर भी राजनीतिक दावे आमने – सामने रहे। भाजपा ने कम भीड़ का हवाला देकर इसे विफल प्रदर्शन करार दिया है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे व्यापक जनसमर्थन का प्रदर्शन बताया है और एक साझा मंच से केंद्र सरकार को राजनीतिक चुनौती देने की कोशिश की है।

राहुल गांधी ने चुनावी निष्पक्षता को इस रैली का केंद्रीय मुद्दा बनाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष है कि इस प्रक्रिया से फर्जी, दोहरे और अपात्र नामों की पहचान की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि पात्र मतदाताओं के नाम हटने की शिकायतों का निपटारा किस तरह और कितनी पारदर्शिता से हो रहा है। चुनाव आयोग को आंकड़ों और शिकायतों की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए। मतदान का अधिकार किसी राजनीतिक दल की कृपा नहीं, नागरिक का संवैधानिक अधिकार है।

विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि सरकार आलोचना और असहमति को दबाने के लिए प्रशासनिक और कानूनी संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच, विरोध प्रदर्शनों पर कारवाई और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वालों के विरुद्ध कठोर रवैये की शिकायतें राजनीतिक बहस का हिस्सा बनती रही हैं। जांच एजेंसियों की कारवाई को लेकर उठते सवाल इस राजनीतिक बहस को और गंभीर बनाते हैं। 2014 के बाद ईडी की जांच के दायरे में आये राजनेताओं में ज्यादातर विपक्षी दलों से जुड़े रहे हैं। इससे जांच एजेंसी के राजनीतिक इस्तेमाल का सवाल खड़ा होता है। यह भी सबके सामने है कि केंद्रीय एजेंसियों की भ्रष्टाचार संबंधी जांच का सामना कर रहे ज्यादातर नेता भाजपा में शामिल हुए है और उन्हे भाजपा में शामिल होने के बाद राहत मिली या उनकी जांच ठहर गई है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को केवल कांग्रेस के नेताओं की जांच तक सीमित न रखकर संस्थाओं की जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से जोड़ा है।

हालांकि आज देश की राजनीति केवल चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों के इर्द – गिर्द नहीं घूमती। जनता के सामने रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के सवाल भी उतने ही बड़े हैं। आज परिवारों की खर्च क्षमता, युवाओं के लिए स्थायी रोजगार और महिलाओं की कामकाजी भागीदारी पर गंभीर चर्चा की जरूरत हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जवाबदेही जरूरी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं, जांच सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर जनता के सवाल बने हुए हैं। विपक्ष को यह बताना होगा कि वह रोजगार कैसे बढ़ाएगा, महंगाई से राहत कैसे देगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश कैसे बढ़ाएगा और जांच एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए कौन से संस्थागत सुधार करेगा। जनता को केवल विरोध का मंच नहीं, शासन का वैकल्पिक खाका भी चाहिए। यही वह जगह है जहां राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका की असली परीक्षा होगी। रामलीला मैदान की रैली ने विपक्षी दलों को एक साझा मुद्दे पर एकत्र कर और सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए राष्ट्रीय मंच तैयार कर दिया है। अब इस पहल को विश्वसनीय नीतिगत विकल्प में बदलना उसकी परीक्षा है।

पड़ताल: भारतीय लोकतंत्र के मानकों के बेहद करीब है इस्लामी फ़िक़्ह की व्यापक अवधारणाएं



गौतम चौधरी

इस्लामी फ़िक़्ह और भारतीय लोकतंत्र दो अलग विचारधाराओं और व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। इस्लामी फ़िक़्ह का आधार कुरान, हदीस, इज्मा और कियास जैसे धार्मिक स्रोत हैं, जबकि भारतीय लोकतंत्र संविधान, जनसत्ता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। दोनों की नींव और स्रोत अलग हैं, फिर भी न्याय, जनकल्याण, जवाबदेही और मानव गरिमा जैसे कुछ मूल्यों में समानता दिखाई देती है। इस समानता पर भी तसल्ली से चर्चा होनी चाहिए।

इस मामले में बरेवली फिरके के मुफ्ती तुफैल खान कादिरी साहब कहते हैं, ''इस्लामी फ़िक़्ह में न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस्लामिक पवित्र ग्रंथ कुरान में न्याय और भलाई का आदेश दिया गया है। इस्लामी व्यवस्था में शासक और आम नागरिक, सभी को न्याय के दायरे में रखने की धारणा महत्वपूर्ण रही है। हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर की अनेक घटनाएं न्याय के प्रति इसी प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।''

इधर भारतीय लोकतंत्र भी 'कानून के शासन' पर आधारित है। संविधान सभी नागरिकों को समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। इस दृष्टि से न्याय और समानता दोनों व्यवस्थाओं के मूल्य एक जैसे हैं।

इस्लामिक विद्वानों का दावा है कि इस्लामी चिंतन में 'शूरा' अर्थात परामर्श का महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्र कुरान अपने अनुयायियों को निर्देशित करते हुए कहता है, ''विश्वासियों के कार्य आपसी मशवरे से चलते हैं।'' ख़िलाफ़त – ए – राशिदा के दौर में शासन में परामर्श के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

भारतीय लोकतंत्र में जनभागीदारी चुनाव, संसद, विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से सुनिश्चित होती है। इस अर्थ में शूरा और लोकतांत्रिक जनभागीदारी में वैचारिक समानता है, हालांकि दोनों की संस्थागत संरचना अलग है।

इस्लामी विधि – चिंतन में मानव जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म की रक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है। बाद के इस्लामी विधिशास्त्र में 'मक़ासिद – ए – शरीअत' की अवधारणा के माध्यम से जीवन, धर्म, बुद्धि, वंश और संपत्ति की रक्षा को प्रमुख उद्देश्य माना गया।

भारतीय संविधान भी समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इस प्रकार मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा दोनों परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

इस्लामी राजनीतिक चिंतन में शासक की जवाबदेही पर बल दिया गया है। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का यह कथन कि यदि मैं सही राह पर चलूं तो मेरा साथ दो और यदि मैं भटक जाऊं तो मुझे सुधारो, इसी भावना का उदाहरण है। भारतीय लोकतंत्र में सरकार संसद, न्यायपालिका, मीडिया और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चुनाव जनता को सरकार बदलने का अधिकार देते हैं।

इसी प्रकार इस्लामी व्यवस्था में ज़कात, सदक़ा और अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता पर बल दिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में भी कल्याणकारी योजनाओं, आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीतियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रयास किया जाता है।

हालांकि आलेख के प्रथम चरण में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस्लामिक फ़िक़्ह और भारतीय संविधान दो अवधारणाओं का नेतृत्व करता है लेकिन बड़े पैमाने पर समानताएं हैं। इससे यह कतई साबित नहीं होता है कि इस्लामिक फ़िक़्ह की ही प्रतिकीर्ति भारतीय संविधान है, या फिर भारतीय संविधान की रचना में इस्लामिक फ़िक़्ह की बड़ी भूमिका है।

उपर व्याख्यायित समानताओं के बावजूद दोनों व्यवस्थाओं के बीच कुछ बुनियादी अंतर भी हैं। इस्लामी फ़िक़्ह धार्मिक स्रोतों पर आधारित विधिशास्त्र है, जबकि भारतीय लोकतंत्र संविधान पर आधारित मानवीय और परिवर्तनशील व्यवस्था है। इस्लामी राजनीतिक चिंतन में ईश्वरीय मार्गदर्शन को सर्वोच्च महत्व प्राप्त है, जबकि भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक सत्ता और जनसत्ता केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

इसी तरह इस्लामी फ़िक़्ह में धर्म, नैतिकता और कानून के बीच गहरा संबंध है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष है, जहां राज्य सभी धर्मो के प्रति समान संवैधानिक दृष्टिकोण रखता है और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, इस्लामिक फिक्ह में इस प्रकार की स्वतंत्रता का कतिपय अभाव दिखता है।

इस्लामी फ़िक़्ह और भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह समान या परस्पर विरोधी मानना उचित नहीं होगा। दोनों की उत्पत्ति, स्रोत और संस्थागत संरचना अलग हैं, लेकिन न्याय, समानता, जनकल्याण, जवाबदेही और मानव गरिमा जैसे मूल्यों में संवाद की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के लोग समान नागरिक के रूप में रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि धार्मिक आस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव के बजाय रचनात्मक संवाद स्थापित हो। न्याय, मानव गरिमा, स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व और शांतिपूर्ण सह – अस्तित्व जैसे साझा मूल्यों को संविधान की सर्वोच्चता के भीतर समझना ही भारत जैसे बहुलतावादी समाज के लिए अधिक उपयोगी रास्ता हो सकता है।

पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति का अंत : सच की कीमत और पत्रकारों की सुरक्षा

2 नवंबर – पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस

– सुरेश सिंह बैस 'शाश्वत'

लोकतंत्र में पत्रकारिता केवल समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने, अन्याय को उजागर करने और समाज के सामने सच रखने का महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन जब सच लिखने, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने या जनहित के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, उन पर हमले होते हैं अथवा उनकी हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब संकट केवल पत्रकारिता का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार का भी होता है।

इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक चेतना जगाने के लिए प्रतिवर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2013 को प्रस्ताव संख्या A/RES/68/163 के माध्यम से इस दिवस की घोषणा की थी। इसकी तारीख माली में 2 नवंबर 2013 को दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति से जुड़ी है।

पत्रकार समाज की आंख और कान की तरह काम करता है। वह उन घटनाओं और परिस्थितियों को सामने लाता है, जिन्हें अक्सर प्रभावशाली लोग छिपाए रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, मानवाधिकारों के उल्लंघन, अपराध और जनसमस्याओं पर निर्भीक रिपोर्टिंग जनहित की रक्षा करती है। लेकिन जब पत्रकार को खबर प्रकाशित करने के कारण धमकाया जाता है, झूठे मुकदमों में उलझाया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा पर हमला होता है या उसे शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो उसका प्रभाव एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। भय का वातावरण अन्य पत्रकारों को भी सवाल उठाने से रोक सकता है। परिणामस्वरूप, जनता तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचने में बाधा आती है और जवाबदेही की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है।

संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को ने पत्रकारों की हत्या के मामलों में दोषियों को दंड न मिलने की समस्या पर लगातार चिंता जताई है। यूनेस्को के अनुसार, पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की प्रभावी जांच और दोषियों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाना दंडमुक्ति की संस्कृति को तोड़ने के लिए अनिवार्य है। दंडमुक्ति का आशय है, अपराध होने के बावजूद दोषियों का कानून के अनुसार जवाबदेह न ठहराया जाना। जब किसी पत्रकार पर हमला करने वाले व्यक्ति या समूह को राजनीतिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रभावों के कारण संरक्षण मिलता है, जांच निष्पक्ष नहीं होती या मामला वर्षों तक लंबित रहता है, तो न्याय की आशा कमजोर पड़ती है। यह स्थिति अपराधियों का मनोबल बढ़ा सकती है। इससे यह खतरनाक संदेश जाता है कि सच उजागर करने वालों को निशाना बनाकर भी बचा जा सकता है। इसलिए पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी जांच केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता की कसौटी है।

आज पत्रकारों के सामने पारंपरिक खतरों के साथ डिजिटल दुनिया की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर संगठित दुष्प्रचार, व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना, ऑनलाइन धमकियां, चरित्रहनन और महिलाओं को निशाना बनाकर की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियां स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर बाधाएं हैं। डिजिटल माध्यमों ने सूचना के प्रसार को आसान बनाया है, लेकिन गलत सूचना और भीड़ के दबाव ने पत्रकारों की जिम्मेदारियों तथा जोखिमों को भी बढ़ाया है। विशेष रूप से महिला पत्रकारों को ऑनलाइन उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर निशाना बनाए जाने का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को सामान्य इंटरनेट व्यवहार मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ बुनियादी कदम आवश्यक हैं –

– पत्रकारों के विरुद्ध धमकी, हिंसा और हमलों की शिकायतों पर त्वरित कारवाई हो।

– मामलों की जांच निष्पक्ष हो तथा दोषियों को कानून के अनुसार दंड मिले।

– पत्रकारिता के नाम पर जानबूझकर फैलाए गए झूठ और वास्तविक जनहित की रिपोर्टिंग के बीच अंतर समझा जाए।

– पत्रकारों को कानूनी सहायता, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और डिजिटल सुरक्षा के साधन उपलब्ध हों।

– मीडिया संस्थान अपने पत्रकारों की सुरक्षा और संकट के समय सहायता के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाएं।

– पत्रकार भी तथ्य-जांच, संतुलित भाषा, निष्पक्षता और पेशेवर आचरण के मानकों का पालन करें।

पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं है, उसी प्रकार पत्रकार की गलती होने पर कानूनसम्मत कारवाई का अर्थ उसे डराने या हिंसा का निशाना बनाने की छूट भी नहीं है। आलोचना का उत्तर तर्क और तथ्यों से दिया जाना चाहिए, धमकी या हमले से नहीं।

पत्रकारों की सुरक्षा केवल सरकार या मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। समाज, न्यायपालिका, नागरिक संगठनों और आम नागरिकों की भी इसमें भूमिका है। जब किसी पत्रकार पर हमला होता है, तब यह देखना जरूरी है कि कहीं उस हमले के पीछे जनहित के प्रश्नों को दबाने की कोशिश तो नहीं है।

लोकतंत्र की मजबूती इस बात से नहीं आंकी जा सकती कि पत्रकार कितनी सहजता से प्रशंसा लिखते हैं, बल्कि इससे आंकी जानी चाहिए कि वे कितनी स्वतंत्रता से कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। पत्रकार की कलम को निर्भीक बनाए रखने के लिए कानून का निष्पक्ष शासन, संस्थागत जवाबदेही और समाज का जागरूक समर्थन आवश्यक है।

2 नवंबर हमें यही संदेश देता है कि सच लिखने वाले की सुरक्षा और उसके विरुद्ध अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाना, स्वतंत्र समाज की अनिवार्य शर्त है। जहां अपराधी दंड से नहीं डरते, वहां सच कमजोर पड़ता है, और जहां सच कमजोर पड़ता है, वहां लोकतंत्र भी अपनी शक्ति खोने लगता है।

कलम न झुके भय के आगे, सच का उजियारा जीवित हो,
अन्यायों के हर अंधियारे में, न्याय का दीप प्रज्वलित हो।
जो जनहित में प्रश्न उठाए, उसको निर्भय आसमान मिले,
पत्रकार सुरक्षित हों जब, लोकतंत्र को नया सम्मान मिले।

अनाथ बच्चों के सपनों को मिल रहा सहारा

सुख-आश्रय योजना से संवर रहा भविष्य

मंडी में 791 बच्चों को 12.94 करोड़ रुपये की मदद, पढ़ाई से लेकर रोजगार, मकान और विवाह तक की जिम्मेदारी उठा रही योजना

शिमला। किसी बच्चे के सिर से माता-पिता का साया उठ जाए तो उसके सामने जिंदगी की राह आसान नहीं रहती। पढ़ाई का खर्च, रहने की व्यवस्था और भविष्य की चिंता छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना सहारा बन रही है। इस योजना के जरिए प्रदेश सरकार बच्चों को आर्थिक मदद देने के साथ उनकी पढ़ाई पूरी करवाने, रोजगार



शुरू करने और अपना घर बनाने में भी सहयोग कर रही है। इसका मकसद है कि माता-पिता के बिना भी बच्चों के सपने अधूरे न रहें और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मंडी जिला में इस योजना के तहत 791 अनाथ और अर्ध-अनाथ बच्चों को 12 करोड़ 94 लाख 74 हजार रुपये की सहायता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक यह राशि खर्च की गई है। पूर्ण अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। जिले में इस मद पर 6.53 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। बच्चों के खाने-पीने और पोषण के लिए करीब 51 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा दीपावली सहित अन्य त्योहार मनाने के लिए भी बच्चों को आर्थिक सहायता मिलती है।

योजना का लाभ केवल रोजमर्रा की जरूरतों तक सीमित नहीं है। बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए भी सरकार मदद दे रही है। मंडी के 72 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए करीब 36 लाख रुपये और 50 बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 26 लाख रुपये से अधिक दिए गए हैं। वहीं, 23 बच्चों को अपना काम शुरू करने के लिए 42.46 लाख रुपये की सहायता मिली है। इससे बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

जिन बच्चों के सामने अपना घर बनाने और शादी जैसे बड़े खर्चों की चिंता है, उन्हें भी योजना से मदद मिल रही है। मंडी में 65 लाभार्थियों को विवाह के लिए 1.29 करोड़ रुपये और 108 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2.10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा तीन भूमिहीन पूर्ण अनाथ बच्चों को दो-दो बिस्वा जमीन दी गई है। कनैड के गौरव और सरकाघाट के साहिल को भी मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिली है।

उपायुक्त अपूर्व देवगन के अनुसार, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि योजना का लाभ सभी पात्र बच्चों तक पहुंचे। सुख-आश्रय योजना इन बच्चों को यह भरोसा देने की कोशिश है कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए मदद उपलब्ध है। पढ़ाई, रोजगार और अपने घर का सपना पूरा करने की दिशा में मिलने वाला यह सहयोग उन्हें नई शुरुआत का अवसर दे रहा है।

डिजिटल क्रांति से पारदर्शी राजस्व प्रशासन की ओर हिमाचल प्रदेश

राजस्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अब तक 2,12,918 राजस्व मामले प्रोसेस

90 प्रतिशत लंबित जमाबंदियां वर्तमान स्थिति के अनुरूप अद्यतन

हिमाचल प्रदेश में भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और पुश्तैनी विरासत का आधार है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमाबंदी, इंतकाल, निशानदेही और तकसीम जैसी राजस्व सेवाएं आमजन के जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में राजस्व प्रशासन को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाना सुशासन की दिशा में अहम कदम है।

बीते चार वर्षों में राजस्व विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, राजस्व न्यायालयों की ऑनलाइन कार्यप्रणाली और डिजिटल दस्तावेजों की उपलब्धता में उल्लेखनीय प्रगति की है। ई-हिमभूमि, राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस), आरसीसी एमएस, भू-नक्शा पोर्टल और माई डीड पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव आया है। इन नीतिगत प्रयासों का उद्देश्य कार्यालयों में केवल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत प्रदान करना और भूमि अभिलेखों को अधिक सटीक, अद्यतन और सुलभ बनाना है।

राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण में आरएमएस पोर्टल एक बड़ी उपलब्धि है। एक सितंबर, 2025 से इस पोर्टल को पूर्णत: ऑनलाइन एवं पेपरलेस कार्यप्रणाली के रूप में संचालित किया जा रहा है। 9 सितंबर, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट्स ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 लागू किए गए, जिससे इस व्यवस्था को विधिक एवं विनयामक आधार भी प्राप्त हुआ।

राजस्व प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अब तक 2,12,918 राजस्व मामलों को प्रोसेस किया गया। 71,000 मामले सरकार द्वारा सितंबर 2025 को शुरू किए गए पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस रेवेन्यू कोर्ट मॉडयूल के माध्यम से दर्ज किए गए हैं।

प्रदेश की सभी 479 राजस्व अदालतों को इस डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया गया है और लगभग 28,000 सूची (कॉज लिस्ट) तैयार की गई हैं। साथ ही, इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 16,000 अधिवक्ता और 52,000 से अधिक नागरिक भी पंजीकृत हो चुके हैं।

राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रत्येक माह के अंतिम दिनों में मासिक लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें तकसीम, निशानदेही, राजस्व प्रविष्टियों में दुरुस्ती और अतिक्रमण जैसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ कम करना और नागरिकों को अनावश्यक प्रतीक्षा से राहत देना है।

भूमि अभिलेखों को अद्यतन रखना राजस्व प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक है। इस दिशा में विभाग ने लंबित जमाबंदी को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया और अधिकारियों व फील्ड कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए।

इसके परिणामस्वरूप लंबित कार्य में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है। लंबित जमाबंदियों की संख्या लगभग 6,500 से घटकर करीब 750 रह गई है। लगभग 5,750 जमाबंदियों को वर्तमान स्थिति के अनुरूप व पिछले पांच वर्षों के दौरान भूमि से संबंधित हुए समस्त लेनदेन पूरी तरह अपडेट कर दिया गया है।

साथ ही, ई-हिमभूमि के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबंदी की सुविधा से नागरिक अब मोबाइल फोन पर प्रमाणित अभिलेख प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो रोजगार या शिक्षा के कारण अपने गांव से दूर रहते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा डिजिटल, नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह व्यवस्था बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से प्रदेश का राजस्व प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधा सुनिश्चित करने के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

देवताओं के नजराने में 5 और बजंतरियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने कुल्लू दशहरा के समापन पर की घोषणाएं, भुंतर में खुलेगा बिजली सब – डिवीजन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा-2026 के समापन समारोह में देवी-देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत और बजंतरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। देवताओं के मुख्य गूर को 1100 रुपये सम्मान राशि भी दी जाएगी। उन्होंने दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले महिला मंडलों को 35-35 हजार रुपये देने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले में विकास कार्यों के लिए कई घोषणाएं कीं। लेफ्ट बैंक क्षेत्र को जोड़ने के लिए करीब 5 करोड़ और मणिकर्ण सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की बात कही। भुंतर में सीवरेज व्यवस्था के लिए 22 करोड़ रुपये और बिजली सब-डिवीजन खोलने की घोषणा की। विद्युत कमांड-बारा मार्ग के लिए 50 लाख रुपये तथा बजौरा स्कूल में विज्ञान भवन बनाने के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए।



उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 40 रुपये करने की घोषणा की, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने 2023 की आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता डेढ़ लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई है।

मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने पर विचार करेगी सरकार:मुख्यमंत्री

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों से किया संवाद, 20 लाख तक शिक्षा ऋण एक फीसदी ब्याज पर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार एमबीबीएस विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।



इसके लिए बजट में जरूरी प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के विद्यार्थियों से संवाद के दौरान यह बात कही।

विद्यार्थियों ने चिकित्सा शिक्षा, आर्थिक सहायता, कॉलेज के बुनियादी ढांचे, पीजी सीटों और विदेश में अध्ययन के अवसरों से जुड़े सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 12 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या आठ से बढ़कर 57 हो गई है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पहले कुल 277 पीजी सीटें थीं, जो अब 320 नई सीटें मिलने के बाद बढ़कर 597 हो गई हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, कॉलेज में आधुनिक ऑडिटोरियम, एम्फीथियेटर और लाइब्रेरी बनाई जा रही है। 300-300 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्र और छात्रा हॉस्टल का निर्माण भी शुरू हो गया है। भविष्य में यहां सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, कैंसर अस्पताल, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों से पीजी और एमबीबीएस के 10-10 विद्यार्थियों का चयन विदेश में एक्सपोजर विजिट के लिए लगभग पूरा हो चुका है। चयनित विद्यार्थी जल्द विदेश जाकर चिकित्सा क्षेत्र की बेहतर कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे।

शहरों में कचरा निस्तारण की 25 साल की योजना बनेगी:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती कचरे की समस्या और निस्तारण के लिए जमीन की कमी से निपटने के लिए सरकार दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर जोर दे रही है। शहरी विकास एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अगले 20 से 25 वर्षों की जरूरतों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि केवल कचरा उठाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि घरों से ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना सुनिश्चित करना होगा।



विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) की संयुक्त पहल 'सर्कुलर भारत' के तहत आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन को प्रभावी कचरा प्रबंधन की बुनियाद बताया। उन्होंने कचरे के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और प्लास्टिक कचरे के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही पहले चयनित क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं शुरू कर उनके परिणामों के आधार पर विस्तार करने का सुझाव दिया।

निदेशक शहरी विकास नीरज कुमार ने बताया कि इस पहल में शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, संसाधनों की पुनर्प्राप्ति और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के संचालन को बेहतर बनाने पर काम होगा।

मंत्री ने सफाई कर्मचारियों के सम्मान और सशक्तिकरण को भी प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में महापौर सुरेन्द्र चौहान, एचयूएल के कार्यकारी निदेशक बी. पी. बिद्दप्पा और विभिन्न शहरी निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस का पहरा, 'स्कूल कनेक्ट' पहल शुरू

शिमला/शैल। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर हिमाचल पुलिस ने 'स्कूल कनेक्ट' पहल शुरू की है। इसके तहत स्कूल परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस व स्कूल प्रबंधन के बीच सीधा समन्वय स्थापित किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने पुलिस मुख्यालय शिमला में 27 स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण देना पुलिस और शिक्षण संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। पुलिस का जोर घटनाओं के बाद कारवाई के बजाये संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें पहले रोकने पर रहेगा।

बैठक में स्कूलों के प्रवेश-निकास द्वारों पर सीसीटीवी निगरानी, आगंतुकों की पहचान, कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और नियमित सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया गया। अपहरण, यौन शोषण, बुलिंग और उत्पीड़न की रोकथाम के साथ पॉक्सो कानून के प्रति जागरूकता तथा शिकायतों की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देशात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई।

साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन और डीपफेक जैसे डिजिटल अपराधों से विद्यार्थियों को बचाना भी पहल का हिस्सा होगा। स्कूलों को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ एंटी-चिट्टा जन आंदोलन से जोड़ने का आहवान किया गया।

स्कूल बस चालकों और सहायकों का सत्यापन, आपदा प्रबंधन, सुरक्षित निकासी अभ्यास तथा आपातकालीन सेवा नंबर 112 की जानकारी देने पर भी जोर दिया गया। इसके लिए स्कूल सुरक्षा समितियां और पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा स्थानीय पुलिस के साथ नियमित संवाद की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'स्कूल कनेक्ट' पुलिस-यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का विस्तार है। अब इसकी असली चुनौती 27 स्कूलों से आगे इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने और सुरक्षा मानकों का नियमित पालन सुनिश्चित करने की होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 11,500 और सहायिकाओं का 6,800 रुपये हुआ

शिमला/शैल। राज्य सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष अरुणा महाजन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार ने पिछले चार बजट में इनके मानदेय में लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2023-24 की तुलना में कार्यकर्ताओं के मानदेय में 2,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 1,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

अरुणा महाजन ने बताया कि विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को भी राहत देते हुए आंगनबाड़ी पदों पर नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये की गई है।

एसजेवीएन ने 13.32 टन पुरानी बैटरियों और 25 टन ई-कचरे के निपटान की पहल की

शिमला/शैल। एसजेवीएन ने विशेष अभियान 6.0 के तहत अपनी विभिन्न परियोजनाओं और कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने की पहल की है। विद्युत मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाना, लंबित मामलों का निपटारा और अनुपयोगी सामग्री का उचित प्रबंधन करना है।



अभियान के दौरान एसजेवीएन के निगम मुख्यालय से 7,500 किलोग्राम और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत स्टेशन से 5,820 किलोग्राम पुरानी बैटरियों का निपटान किया गया। कुल 13.32 टन बैटरियों का मूल्य 16.11 लाख रुपये बताया गया है। इसके अलावा 800 किलोग्राम टायर सहित करीब 25 टन ई-कचरे और अनुपयोगी सामग्री की पहचान की गई।

प्रशासनिक स्तर पर करीब 585 किलोग्राम वजन वाली 322 लंबित फाइलों और दस्तावेजों का निपटारा किया गया। साथ ही नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा लंबित जन शिकायतों और अपीलों का समय पर समाधान करने के प्रयास किए गए।

एसजेवीएन के 14 प्रतिष्ठानों में विशेष सफाई अभियान भी चलाया गया। कंपनी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही को नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 40 साल में सबसे ज्यादा सुधार का दावा:मुख्यमंत्री

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के नए अकादमिक ब्लॉक का शुभारंभ, चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 40 वर्षो के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। सरकार का लक्ष्य अगले दस वर्षो में हिमाचल को ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, जहां देश के दूसरे राज्यों से भी लोग इलाज करवाने आएं।



मुख्यमंत्री ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के नए अकादमिक ब्लॉक का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमआरआई, 3 टेस्ला एमआरआई और अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए जा रहे हैं। चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। पीजी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों के बॉन्ड संबंधी नियमों में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है। बीएससी नर्सिंग और रेडियोग्राफर प्रशिक्षण की सीटें भी बढ़ाई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर में देश का पहला एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज शुरू किया गया है। इस साल यहां चार पाठयक्रम शुरू किए गए हैं और अगले वर्ष चार नए पाठयक्रम शुरू करने की योजना है।

उन्होंने कहा कि एमबीबीएस विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 60-60 के बैच में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आधुनिक मशीनों के साथ अस्पतालों में मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार भी जरूरी है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े।

इंदिरा गांधी और सरदार पटेल का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में साहसिक नेतृत्व दिया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे उनके फैसले भी देश के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। देश की सेवा करते हुए उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर मजबूत और एकीकृत भारत की नींव रखी। उनकी प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति अतुलनीय थी।

सुक्खू ने कहा कि संविधान, लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान की स्वतंत्रता की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, यादविंद्र गोमा और प्रतिभा सिंह सहित कई नेता उपस्थित रहे।

चमियाणा अस्पताल में 222 पदों और दो बसों को मंजूरी

डॉक्टरों, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों के पद शामिल कुछ पद आईजीएमसी शिमला से स्थानांतरित होंगे

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने शिमला के अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाणा में कुल 222 पदों को स्वीकृति दी है। इनमें डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों के पद शामिल हैं। इसके अलावा अस्पताल के लिए दो बसें किराये पर लेने की भी मंजूरी दी गई है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से अस्पताल में इलाज, जांच और मेडिकल पढ़ाई से जुड़ी सुविधाएं बेहतर होंगी। कुछ नए पदों के साथ आईजीएमसी शिमला और चमियाणा के अन्य विभागों में पहले से मंजूर पदों को भी स्थानांतरित और दोबारा बांटा जाएगा। इसलिए सभी 222 पदों को नए पद कहना सही नहीं होगा।

क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में कुल 10 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट के पद शामिल हैं। एनेस्थीसिया विभाग में 10 पदों को मंजूरी मिली है। इनमें एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर और पांच सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं।

सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी यानी जीआई सर्जरी विभाग में छः पद मंजूर हुए हैं। इनमें एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और चार सीनियर रेजिडेंट के पद हैं। रेडियोलॉजी विभाग में 12 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, दो असिस्टेंट प्रोफेसर और आठ सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं।

इसके अलावा अस्पताल में एक डाइटीशियन, दो सीएसएसडी सुपरवाइजर और एक चीफ फार्मासिस्ट का पद भी मंजूर किया गया है।

अस्पताल में रोजमर्रा के कामकाज के लिए 50 सुरक्षा कर्मियों, 50 सफाई कर्मचारियों और 50 वार्ड अटेंडेंट के पदों को भी मंजूरी दी गई है। पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और ब्लड बैंक में पांच-पांच लैब टेक्नीशियन रखे जाएंगे। इनके अलावा चार आरोग्य मित्र, दो फिजियोथेरेपिस्ट, तीन चालक और एक जेओए (आईटी) का पद भी स्वीकृत किया गया है।

सरकार के अनुसार, इन पदों से चमियाणा अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे मरीजों को बेहतर इलाज और जांच की सुविधाएं देने में मदद मिलेगी।

419 खिलाड़ियों को 17.85 करोड़ के पुरस्कार, हिम रतन से किया सम्मानित

राष्ट्रीय स्तर के कोच और अंतरराष्ट्रीय रेफरी को मिलेंगे तीन-तीन लाख, 20 नवंबर से धर्मशाला में शुरू होगा खेलो हिमाचल अभियान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन करने वाले 419 खिलाड़ियों को 17.85 करोड़ रुपये के पुरस्कार चेक वितरित किए। शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खिलाड़ियों को हिम रतन-2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें 51 अंतरराष्ट्रीय और 368 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को 13.55 करोड़ और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 4.30 करोड़ रुपये दिए गए।



एशियन खेलों में मैराथन के रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.50 करोड़, 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये दिए गए। कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की हिमाचली खिलाड़ियों रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को एक-एक करोड़ रुपये दिए गए। क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी एक करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के कोच और अंतरराष्ट्रीय रेफरी को तीन-तीन लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है और खेल विभाग में रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं।

उन्होंने बताया कि नशे, विशेषकर चिट्टे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए 20 नवंबर से धर्मशाला में खेलो हिमाचल अभियान शुरू होगा। इसमें 15 से 30 वर्ष के युवक-युवतियां क्रिकेट, व लीबाल और कबड्डी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। राज्य स्तर पर विजेता टीम को 21 लाख रुपये मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने नादौन में 170 करोड़ रुपये से आधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाने की जानकारी भी दी।

नौहराधार में 6.92 करोड़ से बने सीएचसी भवन का लोकार्पण, संगड़ाह में खुलेगा सीबीएसई स्कूल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा सिरमौर जिले के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन का लोकार्पण किया। 6.92 करोड़ रुपये की लागत से बने इस छह बिस्तरों वाले स्वास्थ्य केंद्र से क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों और 47 गांवों के करीब 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में दो चिकित्सा अधिकारियों और एक स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है। इससे स्थानीय लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2027 तक स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की उपलब्धता 70 प्रतिशत से अधिक करना है। उनके अनुसार, पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में अस्पतालों में केवल 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था।

मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संगड़ाह को सीबीएसई स्कूल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा क्षेत्र में प्रतिदिन 5,000 लीटर क्षमता का मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।



इस अवसर पर स्थानीय विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुध सिंह भी उपस्थित रहे।

दूध उत्पादकों को अब मिलेगा छह रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दूध उत्पादकों को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी है। अब गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध बेचने वाले पात्र उत्पादकों को तीन रुपये के बजाय छह रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप इस वृद्धि को मंजूरी दी है।

योजना के लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रोत्साहन राशि सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उत्पादकों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को स्थायी आजीविका के रूप में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी डेयरी सहकारी समितियों के पास सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण उनसे जुड़े उत्पादकों को पहले समान सहायता नहीं मिल पा रही थी। सरकार ने इस असमानता को दूर करने के लिए योजना शुरू की थी। अब सहायता दोगुनी करने से पात्र दूध उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

गारंटियों की पोल खोलने सड़क पर उतरी भाजपा, मुख्यमंत्री से मांगा जबाव

शिमला/शैल। हिमाचल में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ चुनावी मोर्चा खोल दिया है। शिमला के चौड़ा मैदान में रविवार को आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा और जनसभा में भाजपा के चार बड़े नेताओं ने सरकार को रोजगार, महिला सम्मान राशि और चुनावी गारंटियों पर घेरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पांच लाख रोजगार देने के वादे पर जवाब मांगा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने चार साल के कामकाज का हिसाब मांगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस की विदाई होगी।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस की पांच लाख रोजगार देने की गारंटी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार अब तक कितने युवाओं को रोजगार दे पायी है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां एक लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे के मुकाबले 1.07 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता देने की गारंटी पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सरमा ने कहा कि असम में करीब सात लाख महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि हिमाचल में महिलाओं को कांग्रेस के वादे के अनुसार सहायता मिलने की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं से किए वादे पूरे नहीं किए।

हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मतदान प्रणाली से कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में आई, उसी पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस का ईवीएम को अपनी जीत पर सही और भाजपा की जीत पर गलत बताने का दोहरा मापदंड दिखाई देता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। सरमा ने कहा कि पात्र भारतीय नागरिकों के मतदान अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन अपात्र नामों की पहचान



और नियमानुसार कारवाई का भी विरोध नहीं होना चाहिए।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को आयोग के खिलाफ धरना देना था तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। जयराम ने आरोप लगाया कि प्रदेश के संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाने का आरोप भी लगाया।

राजीव बिंदल ने सरकार से प्रदेश की सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और पेयजल व्यवस्था का हिसाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में सड़कें खराब हैं, अस्पतालों में डॉक्टरों और स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। महिला सम्मान राशि पर सवाल उठाते हुए बिंदल ने कहा कि चार साल तक हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते तो प्रत्येक पात्र महिला को 72 हजार रुपये मिलने चाहिए थे। उन्होंने पूछा कि कितनी महिलाओं को यह पूरी राशि मिली। बिंदल ने कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर कांग्रेस की गारंटियों और सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का आहवान किया।

अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक साल से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि सबूत मांगने पर केवल 'फीलिंग' की बात की जाती है। अनुराग ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी।

इस पदयात्रा में सांसद सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

वाइल्डफ्लावर हॉल से राजस्व बढ़ने की तैयारी

शिमला/शैल। शिमला के प्रतिष्ठित वाइल्डफ्लावर हॉल से 23 साल तक हिमाचल प्रदेश को कोई राजस्व नहीं मिला। करीब ढाई दशक तक कानूनी विवाद में उलझी इस बहुमूल्य संपत्ति को वापस हासिल करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने इसके व्यावसायिक उपयोग का रास्ता खोल दिया है। होटल के संचालन एवं प्रबंधन के लिए हुई प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा सरकार को देने की बोली मिली है। इस व्यवस्था से प्रदेश को प्रतिमाह करीब तीन करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

होटल के संचालन के अधिकार 35 वर्षों के लिए लाइसेंस पर दिए गए हैं। समझौते में 24 करोड़ रुपये अग्रिम लाइसेंस फीस और संपत्ति में कम से कम 50 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। राजस्व हिस्सेदारी में प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। सरकार के अनुसार पूरी अवधि में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

समझौते की सबसे अहम बात यह है कि होटल और उससे जुड़ी मूल परिसंपत्तियों का स्वामित्व प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा। निजी पक्ष को केवल निर्धारित अवधि के लिए संचालन और प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। सरकार का दावा है कि 47.1 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी की यह बोली देश में इस तरह के लेन-देन में अब तक की सबसे अधिक है।

वाइल्डफ्लावर हॉल का विवाद वर्ष 2003 से चला आ रहा था। प्रदेश सरकार और संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच लंबे कानूनी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के परिणामस्वरूप होटल की भूमि, भवन और संबंधित परिसंपत्तियों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण वापस मिला। इसके साथ ही प्रदेश को लगभग 401 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 23 वर्षों में इस संपत्ति से प्रदेश को कोई राजस्व नहीं मिला था। अब ई-नीलामी के माध्यम से इसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि होटल से होने वाली आय जनता के हित में खर्च की जाएगी।

वाइल्डफ्लावर हॉल से जुड़ी कानूनी लड़ाई जीतना और प्रतिस्पर्धात्मक बोली हासिल करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। 50 करोड़ रुपये का निवेश, नियमित राजस्व भुगतान और होटल की मूल संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होगी।

करीब 23 वर्षों तक विवाद में फंसी इस संपत्ति से अब प्रदेश को नियमित आय की उम्मीद है। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि समझौते की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करवाया जाए और सार्वजनिक संपत्ति से होने वाली कमाई का पारदर्शी हिसाब जनता के सामने रखा जाए।

तीन माह से स्टाइपेंड नहीं, राजकीय

.....पृष्ठ 1 का शेष

और पर्याप्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है।

डॉक्टरों ने सामूहिक ज्ञापन के माध्यम से सरकार से लंबित तीन महीने का स्टाइपेंड तत्काल जारी करने, मासिक स्टाइपेंड में संशोधन, जरूरी डेंटल उपकरणों और क्लिनिकल सामग्री की उपलब्धता तथा हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग भी रखी गई है।

इस मामले में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक, हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सचिव, राज्यपाल और राष्ट्रीय दंत आयोग को भी ज्ञापन की प्रतियां भेजी गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब और उचित कारवाई की मांग की है।

डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों का उद्देश्य प्रशासन से टकराव करना नहीं है। वे अपने वित्तीय अधिकारों, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे मरीजों के उपचार और शैक्षणिक जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन संस्थान को भी उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

सरकारी दंत महाविद्यालय में उठे ये सवाल केवल रेजिडेंट डॉक्टरों के स्टाइपेंड तक सीमित नहीं हैं। मामला इस बात से भी जुड़ा है कि प्रदेश में भविष्य के विशेषज्ञ दंत चिकित्सकों को किस तरह की प्रशिक्षण सुविधाएं मिल रही हैं। यदि समय पर भुगतान, जरूरी उपकरण, क्लिनिकल सामग्री और रहने की बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी, तो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर भी सवाल उठेंगे। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और महाविद्यालय प्रशासन 15 दिनों की समयसीमा में इन शिकायतों पर क्या कारवाई करते हैं।